लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 929
दिनांक 08.02.2023 उत्तर दिए जाने के लिए

हथकरघा क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव

929. श्री सी. एन. अन्नादुरईः
श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री जी. सेल्वमः
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री धनुष एम. कुमारः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्री कुलदीप राय शर्माः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान हथकरघा क्षेत्र कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति प्रणाली, विपणन और ऋण सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान विपणन क्रियाकलाप बंद होने के कारण उत्पादन में भी कमी आई है और यदि हां, तो तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र राज्यों सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बुनकरों की आय भी अत्यधिक प्रभावित हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का हथकरघा बुनकरों के लिए विशेष पैकेज सहित बीमा योजना घोषित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क) से (घ): हथकरघा क्षेत्र की असंगठित और पारंपरिक प्रकृति के कारण, इस क्षेत्र से संबंधित डाटा, बिखरे हुए हैं और केंद्रीय रूप से मात्रा निर्धारण के लिए बड़े पैमाने पर अनुपलब्ध हैं।

कोविड-19 महामारी के दौरान हथकरघा कामगारों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने तमिलनाडु, ओडिशा और महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

i. देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने विशेष आर्थिक पैकेज अर्थात आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। विभिन्न क्षेत्रों के लिए उनके व्यवसायों को पुनर्जीवित करने हेतु राहत और ऋण सहायता उपायों की घोषणा की गई जोकि पात्र बुनकरों और हथकरघा संगठनों के लिए भी उपलब्ध थे।

ii. राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से उनके राज्य हथकरघा निगमों / सहकारी समितियों / एजेंसियों के लिए हथकरघा बुनकरों के पास तैयार माल की खरीद करने का अनुरोध किया गया था।

iii. उत्पादकता, मार्केटिंग क्षमताओं को बढ़ाने और बेहतर आय की सुविधा प्रदान करने हेतु देश में 148 हथकरघा उत्पादक कंपनियों (पीसी) का गठन किया गया है, जो व्यक्तिगत बुनकरों को एक समूह में साथ लाती हैं।

iv. बुनकरों को सरकारी ई-मार्केट प्लेस पर ऑन-बोर्ड करने संबंधी कदम उठाए गए ताकि वे अपने उत्पादों को सीधे विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों को बेच सकें। दिनांक फरवरी 17, के 2020 2017 (जीएफआर) कार्यालय ज्ञापन द्वारा सामान्य वित्तीय नियमके नियम में एक संशोधन पेश 153 किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार के विभागों के लिए कम से कम %20हथकरघा मूल की वस्तुओं की खरीद पहचान कार्ड रखने वाले बुनकरों सहित केवीआईसी औरअथवा हथकरघा कलस्टर जैसे / सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूह संघों (एसएचजी), संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), उत्पादक कंपनियों (पीसी), निगमों आदि से खरीद करना अनिवार्य कर दिया गया था।

v. हथकरघा कामगारों हेतु बी2बी बायर्स/एक्सपोर्टर्स के लिए हथकरघा उत्पादों के प्रदर्शन हेतु वर्चुअल मेलों का आयोजन करके हथकरघा उत्पादकों को सुविधा प्रदान की गई। वर्ष 2020-21 में 10 व 2021-22 में 10 वर्चुअल मेले आयोजित किए गए। इसके अलावा, 2021-22 में बुनकरों के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में 211 घरेलू मार्केटिंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए ताकि वे अपने उत्पादों को बाजार में बेच सकें।

vi. हथकरघा बुनकरों को गुणवत्तापूर्ण यार्न उपलब्ध कराने के लिए कच्चा माल आपूर्ति योजना पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत, सभी प्रकार के यार्न के लिए भाड़ा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है; और कॉटन हैंक यार्न, घरेलू सिल्क, ऊन तथा लिनन यार्न एवं प्राकृतिक फाइबर के मिश्रित यार्न के लिए 15% मूल्य सब्सिडी का घटक उपलब्ध है।

vii. हथकरघा कामगारों को जीवन एवं दुर्घटना बीमा कवर, उनके बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति आदि के माध्यम से उनके कल्याण हेतु प्रावधान किया गया है। दिशा-निर्देशों में विकट परिस्थितियों में 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरस्कार विजेता बुनकरों के लिए वित्तीय सहायता का भी प्रावधान है।

viii. बुनकर मुद्रा ऋण/रियायती ऋण योजना के तहत, व्यक्तिगत बुनकर और हथकरघा संगठनों के लिए मार्जिन मनी सहायता; तीन साल की अवधि के लिए ऋण पर ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी शुल्क प्रदान किया जाता है।

******